

STATUTES OF THE UNIVERSITY

As Approved by the

The President of India in her Capacity as the VISITOR of the University vide MHRD Letter
No. F.42-26/2009-Desk(U) dated 21st March 2011

- | | | |
|---|-------------------|--|
| Appointment of
Heads of the
Departments | 16 (4) (a) | <p>Each Department shall have a Head who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department on the basis of rotation in order of the seniority.</p> <p>Provided that if a Department has only one Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor by rotation in the order of seniority.</p> <p>Provided further that if a Department has no Professor, the Head of the Department shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation in order of seniority.</p> <p>Provided further that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Department, the Dean of the School concerned shall act as the Head of that Department.</p> <p>(b) A Professor or Associate Professor may decline the offer of appointment as the Head of the Department, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person in order of seniority.</p> <p>(c) A Head of Department may resign his office at any time during his/her tenure of office, in which case, the offer of appointment as Head shall be made to the next eligible person in order of seniority.</p> <p>(d) If a person, declines the offer of appointment as Head of the Department and/or resign his office at any time during his/her tenure of office, he/she shall not be considered for appointment as Head in the Department, till his turn of appointment comes again in order of the seniority.</p> <p>(e) A person appointed as the Head of the Department shall hold office as such for a period of three years.</p> <p>(f) The Head of a Department shall perform such functions as may be prescribed by the Ordinances.</p> |
| Appointment of
Directors of the
Centres | 16 (5) (a) | <p>Each Centre shall have a Director of the Centre, who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors placed in the Centre on the basis of rotation in order of the seniority.</p> <p>Provided that if a Centre has only one Professor, the Director of the Centre shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor by rotation in the order of seniority.</p> <p>Provided that if a Centre has no Professor placed in it, the Director shall be appointed from amongst the Associate Professors on the basis of rotation in order of seniority.</p> <p>Provided further that if there is no Professor or an Associate Professor, in a Centre, the Dean of the School concerned shall act as Director of the Centre.</p> <p>(b) A Professor or Associate Professor may decline the offer of appointment as the Director of the Centre, in which case, the offer of appointment as Director shall be made to the next eligible person in order of seniority.</p> <p>(c) A Director of the Centre may resign his office at any time during his/her tenure of office, in which case, the offer of appointment as Director of the Centre shall be made to the next eligible person in order of seniority.</p> |

- (d) If a person, declines the offer of appointment as Director of the Centre and/or resign his office at any time during his/her tenure of office, he/she shall not be considered for appointment as Director of the same Centre, till his turn of appointment comes again in order of the seniority.
- (e) A person appointed as the Director of the Centre shall hold office as such for a period of three years.
- (f) The Director of the Centre shall perform such functions as may be prescribed by the Ordinances.

40. The University shall have the following Schools of Studies, Departments, Centres and maintained colleges:

Establishment of
Schools, Departments
and Centres of Studies

1) School of Medical Sciences

- a) Colleges Maintained by the University
 - i) College of Medical Sciences
 - ii) College of Dental Sciences
- b) Department of Studies
 - i) Such Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinance
- c) Centres of Studies
 - i) Such Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances.

2) School of Health & Allied Sciences

- a) Departments of Studies
 - i) Department of Nursing & Patient Care
 - ii) Department of Physiotherapy
 - iii) Department of Rehabilitation Sciences
 - iv) Department of Pharmaceutical Sciences
 - v) Department of Pathology & Diagnostics
 - vi) Department of Nutrition & food Technology
 - vii) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances
- b) Centres of Studies
 - i) Centre for Criminology & Forensic Sciences
 - ii) Centre for Hospital & Healthcare Management
 - iii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

3) School of Engineering Sciences & Technology

- a) Departments of Studies:
 - i) Department of Civil & Environmental Engineering
 - ii) Department of Electrical Engineering & Energy Technology
 - iii) Department of Electronics & Communication Engineering
 - iv) Department of Mechanical & Aerospace Engineering
 - v) Department of Chemical Engineering & Chemical Technology
 - vi) Department of Computer Engineering & Robotics
 - vii) Department of Pharmaceutical Technologies
 - viii) Department of Biotechnology & Genome
 - ix) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances.

b) Centres of Studies

- i) Centre for Emerging Technologies & Innovation
- ii) Centre for Earthquake Sciences & Engineering
- iii) Centre for Skill Development & Community Polytechnic
- iv) Such other Centres as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

4) School of Physical & Material Sciences

a) Departments of Studies

- i) Department of Physics & Astronomical Science
- ii) Department of Microwave & Electronics
- iii) Department of Chemistry & Chemical Sciences
- iv) Department of Nanoscience & Materials
- v) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies:

- i) Centre for Energy Studies
- ii) Centre for Analytical Techniques in Physical & Material Sciences
- iii) Centre for Inter-disciplinary Research in Basic Sciences
- iv) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

5) School of Life Sciences

a) Departments

- i) Department of Animal Sciences
- ii) Department of Plant Sciences
- iii) Department of Structural Biology
- iv) Department of Microbiology
- v) Department of Biochemistry & Molecular Biology
- vi) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for Computational Biology & Bioinformatics
- ii) Centre for Human Biological Chemistry & Genetics
- iii) Centre for Biomedical Engineering & Bio-Engineering
- iv) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

6) School of Earth & Environmental Sciences

a) Departments

- i) Department of Geology
- ii) Department of Geography
- iii) Department of Environmental Sciences
- iv) Department of Atmospheric & Planetary Sciences
- v) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for Climate Change, Oceanic Sciences & Glacier Studies
- ii) Centre for Hydrological Sciences & Hydro Energy
- iii) Centre for Natural Resource Management & Human Ecology
- iv) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

7) School of Mathematics, Computers & Information Sciences

a) Departments

- i) Department of Mathematics
- ii) Department of Statistics & Actuarial Science
- iii) Department of Computer Science & Informatics
- iv) Department of Library & Information Science
- v) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for the Development of Multimedia Systems
- ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

8) School of Humanities & Languages

a) Departments

- i) Department of Philosophy & Human Values
- ii) Department of Comparative Religion & Civilisation
- iii) Department of History, Culture & Archaeology
- iv) Department of Linguistics & Etymology
- v) Department of English & European Languages
- vi) Department of Hindi & Indian Languages
- vii) Department of Sanskrit & Pali
- viii) Department of Urdu
- ix) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Communication and Language Lab
- ii) Centre for Comparative Literature & Translation Studies
- iii) Centre for Indo-Arab and Iranian Studies
- iv) Centre for Indo-Tibet and Chinese Studies
- v) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

9) School of Social Sciences

a) Departments

- i) Department of Economics & Public Policy
- ii) Department of Political Sciences & International Relations
- iii) Department of Public Policy & Public Systems Management
- iv) Department of Sociology & Social Anthropology
- v) Department of Social Work
- vi) Department of Psychology & Behavioural Sciences
- vii) Department of Family & Community Sciences
- viii) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for Peace Studies & Conflict Resolution
- ii) Centre for South Asian Studies
- iii) Centre for Defence & Strategic Studies
- iv) Centre for the Study of Social Exclusion & Inclusive Policies
- v) Centre for Women Studies
- vi) Centre for Dalit & Minority Studies
- vii) Centre for Rural and Tribal Studies
- viii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

10) School of Education

a) Departments

- i) Department of Educational Studies
- ii) Department of Teachers Education
- iii) Department of Special Education
- vi) Department of Early Childhood Education
- v) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for Policy Research in Education
- ii) Centre for Educational Technology & Innovation
- iii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

11) School of Business & Management Studies

a) Departments

- i) Department of Accounting & Finance
- ii) Department of HRM & Organisational Behaviour
- iii) Department of Production & Operations Management
- iv) Department of Marketing & Supply Chain Management
- v) Department of Management Science
- vi) Department of Change Management & Organisation Development
- vii) Department of International Trade, Business & Finance
- viii) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for Corporate Social Responsibility, Ethics & Corporate Governance
- ii) Centre for Entrepreneurship & Innovation
- iii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

12) School of Tourism, Travel and Hospitality Management

a) Departments

- i) Department of Tourism & Travel Management
- ii) Department of Hotel & Hospitality Management
- iii) Department of Event, Trade Fair & Exhibition Management
- iv) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centres of Studies

- i) Centre for the Promotion of Ecological, Adventure, Health & Cultural Tourism
- ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

13) School of Fine Arts & Art Education

a) Departments

- i) Department of Performing Arts
- ii) Department of Visual Arts
- iii) Department of History of Art, Art Education & Art Appreciation
- iv) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the ordinances

b) Centre of Studies

- i) Centre for Popularisation and Preservation of Pahari Language, Art, Culture & Handicrafts
- ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

14) School of Journalism, Mass Communication & New Media

a) Departments

- i) Department of Journalism & Creative Writing
- ii) Department of Mass Communication & Electronic Media
- iii) Department of Photography, Films & Television
- iv) Department of Advertising and Marketing Communication
- v) Such other Departments as may be established from time to time under the Statutes and assigned by the Ordinances

b) Centre of Studies

- i) Centre for Media Studies & Development Communication
- ii) Such other Centre as may be established from time to time and assigned by the Ordinances

41 (1) There shall be a Planning & Monitoring Board of the University which shall advise generally on the planning and development activities of the University and monitor the standard of academic and physical development of the University.

Constitution of Planning and Monitoring Board

(2) The constitution of the Planning & Monitoring Board and manner of appointment of members shall be as under:

- a) The Vice-Chancellor, who shall be the Chairman
- b) Two Deans of the Schools to be nominated by the Vice-Chancellor
- c) Three Experts, known for their expertise/special interests in planning and development of higher education, to be nominated by the Executive Council
- d) Three Experts, known for their expertise/special interest in the planning and development of higher education, to be nominated by the Vice-Chancellor
- e) The Registrar of the University
- f) The Finance Officer of the University
- g) The person designated by the Vice-Chancellor as the Planning & Development Officer or the OSD (Planning & Development) shall be the Member Secretary.

(3) The terms of office of the members other than the ex-officio members, shall be three years from the date of their appointment and they shall be eligible for reappointment.

(4) The powers and functions of the Planning & Monitoring Board shall be such as may be prescribed by the Ordinance.

42 (1) Dean of Students' Welfare (DSW) shall be a full-time salaried officers of the University in the pay and rank of the Professor and shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor;

Appointment of Dean of Students' Welfare as an Officer of the University

(2) Provided that the Executive Council may, appoint on the recommendation of the Vice-Chancellor, a teacher, not below the rank of a Associate Professor, to discharge the duties of the Dean of Students' Welfare (DSW), in addition to his duties as teacher, and in such case, the Executive Council may sanction a suitable allowance to be paid to him.

(3) The Dean of Students' Welfare (DSW) shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-appointment.

(4) If a teacher of the University is appointed as a Dean of Students' Welfare (DSW), he/she shall continue to hold his lien on his/her substantive post and shall be eligible to all the benefits that would have otherwise accrued to him/her, but for his/her appointment as the Dean of Students' Welfare.

(5) When the office of a Dean Students' Welfare is vacant or when the Dean of Students' Welfare is by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office of the Dean of Students' Welfare (DSW) shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(6) The functions, duties and responsibilities of a Dean of Students' Welfare shall be prescribed by the Ordinances.

विश्वविद्यालय के परिनियम

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र सं. एफ.42-26/2009-डेस्क दिनांक 21.03.2011 के अन्तर्गत जिसे भारत की राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष की हैसियत से अनुमोदित किया है

- विभागाध्यक्ष की नियुक्ति
- 16(4) (ए) प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जिसे विभाग के प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
परन्तु यदि विभाग में एक ही प्रोफेसर है तो विभागाध्यक्ष को प्रोफेसर और वरिष्ठतम असोसिएट प्रोफेसर में से वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा।
यदि विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है तो विभागाध्यक्ष विभाग के असोसिएट प्रोफेसर में से वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा।
यदि विभाग में कोई भी प्रोफेसर या असोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो संबंधित स्कूल के अधिष्ठाता विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- (बी) प्रोफेसर या असोसिएट प्रोफेसर विभागाध्यक्ष की नियुक्ति प्रस्ताव को मना कर सकता है, इस प्रकार के मामले में वरिष्ठता के आधार पर अगले पात्र व्यक्ति को विभागाध्यक्ष का नियुक्ति प्रस्ताव दिया जा सकता है।
- (सी) अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय विभागाध्यक्ष अपना त्यागपत्र दे सकता है, इस प्रकार के मामले में वरिष्ठता के आधार पर अगले पात्र व्यक्ति को विभागाध्यक्ष का नियुक्ति प्रस्ताव दिया जा सकता है।
- (डी) यदि कोई व्यक्ति विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है या अपने कार्यकाल के दौरान विभागाध्यक्ष के रूप में त्यागपत्र दे देता है तो विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु वह तब तक विचाराधीन नहीं होगा जब तक कि वरिष्ठता के आधार पर उनकी पुनः बारी नहीं आ जाती है।
- (इ) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।
- (एफ) विभागाध्यक्ष अध्यादेश में निर्धारित कार्यों का निष्पादन/निर्वहन करेंगे।
- केन्द्र के निदेशकों के रूप में नियुक्ति
- 16(5) (ए) प्रत्येक केन्द्र का एक केन्द्र-निदेशक होगा जिसे केन्द्र में कार्यरत प्रोफेसरों में से वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
परन्तु यदि केन्द्र में एक ही प्रोफेसर है तो केन्द्र-निदेशक को प्रोफेसर और वरिष्ठतम असोसिएट प्रोफेसर में से वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा।

यदि केन्द्र में कोई प्रोफेसर नहीं है तो तो केन्द्र-निदेशक को केन्द्र के असोसिएट प्रोफेसर में से वरिष्ठता के आधार पर बारी-बारी से नियुक्त किया जाएगा।

यदि केन्द्र में कोई भी प्रोफेसर या असोसिएट प्रोफेसर नहीं है तो सबन्धित स्कूल के अधिष्ठाता केन्द्र-निदेशक के रूप में कार्य करेंगे।

(बी) प्रोफेसर या असोसिएट प्रोफेसर केन्द्र-निदेशक की नियुक्ति प्रस्ताव को मना कर सकता है, इस प्रकार के मामले में वरिष्ठता के आधार पर अगले पात्र व्यक्ति को केन्द्र-निदेशक का नियुक्ति प्रस्ताव दिया जा सकता है।

(सी) अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी समय केन्द्र-निदेशक अपना त्यागपत्र दे सकता है, इस प्रकार के मामले में वरिष्ठता के आधार पर अगले पात्र व्यक्ति को केन्द्र-निदेशक का नियुक्ति प्रस्ताव दिया जा सकता है।

(डी) यदि कोई व्यक्ति केन्द्र-निदेशक के रूप में कार्य करने के नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है या अपने कार्यकाल के दौरान केन्द्र-निदेशक के रूप में त्यागपत्र दे देता है तो उसे केन्द्र-निदेशक के रूप में कार्य करने हेतु वह तब तक विचाराधीन नहीं होगा जब तक कि वरिष्ठता के आधार पर उनकी पुनः बारी नहीं आ जाती है।

(इ) केन्द्र-निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(एफ) केन्द्र-निदेशक अध्यादेश में निर्धारित कार्यों का निष्पादन/निर्वहन करेंगे।

40 विश्वविद्यालय में निम्नलिखित अध्ययन स्कूल, विभाग, केन्द्र और महाविद्यालय होंगे:

1) चिकित्सा विज्ञान स्कूल

ए) विश्वविद्यालय द्वारा पोषित महाविद्यालय

- i) चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय
- ii) दंत चिकित्सा महाविद्यालय

बी) विभाग

- i) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

सी) अध्ययन केन्द्र

- ii) ऐसे केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे

2) स्वास्थ्य एवं संबद्ध विज्ञान स्कूल

ए) विभाग

- i) नर्सिंग एवं रोगी परिचर्या विभाग
- ii) शारीरिक चिकित्सा विभाग
- iii) पुनर्वास विज्ञान विभाग
- iv) भेषज विज्ञान विभाग
- v) रोगविज्ञान एवं नैदानिक विभाग
- vi) पोषण एवं आहार प्रौद्योगिकी विभाग
- vii) ऐसे अन्य विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) अपराधविज्ञान एवं न्यायालिक विज्ञान केन्द्र
- ii) चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य प्रबन्ध केन्द्र
- iii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे

3) अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्कूल

ए) विभाग

- i) सिविल एवं पर्यावरणीय अभियांत्रिकी विभाग
- ii) विद्युत अभियांत्रिकी एवं ऊर्जा प्रौद्योगिकी विभाग
- iii) इलैक्ट्रॉनिक्स एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग
- iv) रसायनिक अभियांत्रिकी एवं रसायनिक प्रौद्योगिकी विभाग
- v) कम्प्यूटर अभियांत्रिकी एवं रोबोटिक्स विभाग
- vi) भेषज/फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी विभाग
- vii) जैवप्रौद्योगिकी एवं जिनोम विभाग
- viii) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) केन्द्र

- i) नवोत्पन्न/इमरजिंग प्रौद्योगिकियां एवं नवोन्मेष केन्द्र
- ii) भूकंप विज्ञान एवं अभियांत्रिकी केन्द्र
- iii) दक्षता विकास एवं सामुदायिक पॉलीतनीक केन्द्र
- iv) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

4) भौतिक एवं सामग्री विज्ञान

ए) विभाग

- i) भौतिकी एवं खगोलीय विज्ञान विभाग
- ii) माइक्रोवेव एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग
- iii) रसायन एवं रसायनिक विज्ञान विभाग
- iv) नैनोसाइंस एवं पदार्थ विभाग
- v) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) उर्जा अध्ययन केन्द्र
- ii) भौतिक एवं पदार्थ विज्ञान में विश्लेषणात्मक तकनीक केन्द्र
- iii) आधारभूत विज्ञान में अन्तर-विषयी अनुसंधान केन्द्र
- iv) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

5) जीव विज्ञान स्कूल

ए) विभाग

- i) जन्तुविज्ञान विभाग
- ii) पादप विज्ञान विभाग
- iii) संरचना जीव विज्ञान
- iii) सूक्ष्मजैविकी विभाग
- iv) जैव रसायन एवं आणविक जीवविज्ञान
- v) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान एवं जैव सूचना विज्ञान केन्द्र
- ii) मानवीय जैविक रसायनिक एवं आनुवांशिकी केन्द्र
- iii) जैवचिकित्सा अभियांत्रिकी एवं जैव- अभियांत्रिकी केन्द्र
- iv) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

6) भू-विज्ञान एवं पर्यावरण विज्ञान स्कूल

ए) विभाग

- i) भू-विज्ञान विभाग
- ii) भूगोल विभाग
- iii) पर्यावरण विज्ञान विभाग
- iv) वायुमण्डलीय एवं खंगोल पिंड विज्ञान विभाग
- v) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) जलवायु परिवर्तन, समुद्रीय विज्ञान एवं ग्लेशियर अध्ययन केन्द्र
- ii) जलविज्ञान एवं जलीय उर्जा केन्द्र
- iii) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं मानवीय पारिस्थितिकी केन्द्र
- iv) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

7) गणित, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान स्कूल

ए) विभाग

- i) गणित विभाग
- ii) सांख्यिकी एवं बीमांकित विज्ञान
- iii) कम्प्यूटर विज्ञान एवं सूचना विज्ञान
- iv) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग
- v) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) मल्टीमीडिया सिस्टम विकास केन्द्र
- ii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

8) मानविकी एवं भाषाएं स्कूल

ए) विभाग

- i) दर्शनशास्त्र एवं मानव मूल्य विभाग
- ii) तुलनात्मक धर्म एवं सभ्यता विभाग
- iii) इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
- iv) भाषाविज्ञान एवं व्युत्पत्ति विभाग
- v) अंग्रेजी एवं युरोपीयन भाषाएं विभाग
- vi) हिंदी एवं भारतीय भाषाएं विभाग
- vii) संस्कृत एवं पाली विभाग
- viii) उर्दू विभाग
- ix) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) संचार एवं भाषा प्रयोगशाला
- ii) तुलनात्मक साहित्य एवं अनुवाद अध्ययन केन्द्र
- iii) भारत-अरब एवं ईरान अध्ययन केन्द्र
- iv) भारत-तिब्बत एवं चीनी अध्ययन केन्द्र
- v) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

9 सामाजिक विज्ञान स्कूल

ए) विभाग

- i) अर्थशास्त्र एवं जन-नीति विभाग
- ii) राजनीतिशास्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबन्ध विभाग
- iii) जन नीति एवं जन पद्धति प्रबन्धन विभाग
- iv) समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र विभाग
- v) सामाजिक कार्य विभाग
- vi) मनोविज्ञान एवं व्यवहार विज्ञान विभाग
- vii) परिवार एवं समुदाय विज्ञान विभाग
- viii) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) शांति अध्ययन एवं संघर्ष समाधान केन्द्र
- ii) दक्षिण एशिया अध्ययन केन्द्र
- iii) रक्षा एवं युद्धनीति अध्ययन केन्द्र
- iv) सामाजिक बहिष्कार/वर्जन एवं समावेश नीति अध्ययन केन्द्र
- v) नारी अध्ययन केन्द्र
- vi) दलित एवं अल्पसंख्यक अध्ययन केन्द्र
- vii) ग्रामीण एवं जनजातीय अध्ययन केन्द्र
- viii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

10 शिक्षा स्कूल

ए) विभाग

- i) शैक्षिक अध्ययन विभाग
- ii) अध्यापक शिक्षा विभाग
- iii) विशेष शिक्षा विभाग
- iv) प्रारम्भिक शैशव शिक्षा विभाग
- v) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) शिक्षा नीति अनुसंधान केन्द्र
- ii) शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष केन्द्र
- iii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

11 व्यवसाय एवं प्रबन्धन अध्ययन स्कूल

ए) विभाग

- i) लेखा एवं वित्त विभाग
- ii) मानव संसाधन प्रबन्धन एवं संगठनात्मक व्यवहार विभाग
- iii) उत्पादन एवं कार्य प्रबन्धन
- iv) विपणन एवं आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन विभाग
- v) प्रबन्धन विज्ञान विभाग
- vi) परिवर्तन प्रबन्धन एवं संगठन विकास विभाग
- vii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यवसाय एवं वित्त विभाग
- viii) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, नीतिशास्त्र एवं कॉरपोरेट सुशासन केन्द्र
- ii) उद्यमिता एवं नवोन्मेष केन्द्र
- iii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

12 पर्यटन, यात्रा एवं आतिथ्य सत्कार प्रबन्धन स्कूल

ए) विभाग

- i) पर्यटन एवं यात्रा प्रबन्धन विभाग
- ii) होटल एवं आतिथ्य सत्कार प्रबन्धन विभाग
- iii) आयोजन, व्यापार मेला एवं प्रदर्शनी प्रबन्धन विभाग
- iv) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) पारिस्थितिकीय, साहासिक , स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र
- ii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

13) ललित कला एवं कला शिक्षा स्कूल

ए) विभाग

- i) अभिनय/प्रदर्शन कला विभाग
- ii) दृश्य कला विभाग
- iii) कला इतिहास, कला शिक्षा एवं कला विवेचना विभाग
- iv) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) पहाड़ी भाषा, कला, संस्कृति एवं हस्तशिल्प लोकप्रियकरण एवं संरक्षण केन्द्र
- ii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

14) पत्रकारिता, जनसंचार एवं नव मीडिया स्कूल

ए) विभाग

- i) पत्रकारिता एवं सृजनात्मक लेखन विभाग
- ii) जनसंचार एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
- iii) फोटोग्राफी, फिल्म एवं टेलीविजन विभाग
- iv) विज्ञापन एवं विपणन संचार विभाग
- v) ऐसे विभाग जो कि समय-समय पर परिनियम/संबिधि द्वारा स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

बी) अध्ययन केन्द्र

- i) मीडिया अध्ययन एवं विकास संचार केन्द्र
- ii) ऐसे अन्य केन्द्र जो कि समय-समय पर स्थापित किए जाएंगे और अध्यादेश द्वारा नियत होंगे।

41

(1)

विश्वविद्यालय का एक योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड होगा जो विश्वविद्यालय की योजना और विकास गतिविधियों तथा शैक्षणिक स्तर व भौतिक विकास का अनुवीक्षण करेगा।

योजना एवं अनुवीक्षण मंडल का गठन

(2)

योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड का गठन और सदस्यों की नियुक्ति की तरीका निम्न प्रकार होगा:

- ए) कुलपति उक्त मंडल का अध्यक्ष होगा
- बी) कुलपति द्वारा नामित दो स्कूलों के अधिष्ठाता
- सी) उच्च शिक्षा की योजना और विकास में विशेषज्ञता रखने/ विशेष रुचि रखने वाले तीन विशेषज्ञ, जिन्हे कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित किया जाएगा।
- डी) उच्च शिक्षा की योजना और विकास में विशेषज्ञता रखने/ विशेष रुचि रखने वाले तीन विशेषज्ञ, जिन्हे कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा।
- इ) विश्वविद्यालय के कुलसचिव
- एफ) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी
- जी) कुलपति द्वारा मनोनीत योजना और विकास अधिकारी या विशेष कार्याधिकारी (योजना एवं विकास) उक्त मंडल का सदस्य सचिव होगा।

(3) पदेन सदस्यों को छोड़कर, सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष का होगा तथा यह सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।

(4) योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड की शक्तियां और कार्य वो होंगे जो कि अध्यादेश में विहित होंगे।

विश्वविद्यालय के 42
अधिकारी के रूप
में अधिष्ठाता,
छात्र कल्याण, की
नियुक्ति

- (1) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा जिसका वेतन तथा ओहदा प्रोफेसर के बराबर होगा तथा जिसे कुलपति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
- (2) कुलपति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् असोसिएट प्रोफेसर स्तर तक के शिक्षक को अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है, शिक्षक के रूप में अपने कार्य के अतिरिक्त इस प्रकार के कार्य करने के लिए कार्य परिषद् उस अधिकारी को उपयुक्त भत्ते की संस्तुति कर सकती है।
- (3) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा तथा वह पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे।
- (4) यदि विश्वविद्यालय के शिक्षक में से कोई अधिष्ठाता, छात्र कल्याण बनता है तो वह अपने मूल पद पर अपना लियन रख सकता है तथा वह उन सभी प्रकार के हितलाभ के लिए पात्र होगा जो उसे अधिष्ठाता, छात्र कल्याण न बनने पर मिलते।
- (5) जिस समय छात्र कल्याण के अधिष्ठाता बिमारी या किसी अन्य कारणों से कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाए या कार्य को नहीं कर पाएंगे तो एसी परिस्थितियों में डीन, छात्र कल्याण का दायित्व कुलपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को सौंपी जा सकती है।
- (6) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण के प्रकार्य, कर्तव्य और उत्तरदायित्व अध्यादेश द्वारा विहित होंगे।